न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या : 50/2023

प्रार्थीगण

1. नाथाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी भीलों की बस्ती पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. तेजाराम पुत्र भैराराम
2. भाखराराम पुत्र भैराराम
3. अमलूराम पुत्र सुखराम
4. केशाराम पुत्र सुखराम
5. किशनाराम पुत्र सुखराम
6. जोराराम पुत्र हरजीराम
7. बाबूलाल पुत्र वरींगाराम
8. मुलाराम पुत्र सुखराम
9. रामलाल पुत्र हरजीराम
10. हरीराम पुत्र वरींगाराम
11. जमनादेवी पत्नी धीमाराम
12. बाबूराम पुत्र धीमाराम फौत के कायम मुकाम
    12/1 श्रवण पुत्र बाबूराम
    12/2 प्रकाश पुत्र बाबूराम
13. मोहनराम पुत्र धीमाराम
14. राजूराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी भीलों की बस्ती पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना
15. श्री आलम गौशाला संस्थान धोरीमन्ना जरिये अध्यक्ष
16. अनाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी भीलों की बस्ती तहसील धोरीमन्ना
17. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 13/04/23

अधिवक्ता :– श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 05/01/24

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 16 का खातेदारी के खेत ग्राम भीलों की बस्ती पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 253/2 क्षेत्रफल 5.0586 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम की भूमि आई हुई है, जो आगामी पदों में विवादित आराजी के नाम से ... की जायेगी। जिसकी जमाबन्दी नकल व भू–नक्शा साथ संलग्न है। ... प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 16 की पैतृक भूमि हैं जो प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या ... से आज दिन तक खातेदारी में दर्ज होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है व प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 16 ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

05/01/24

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

नाम से है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के सेढा–सेढ ही पटवार मण्डल लूखू के ग्राम भीलों की बस्ती के विप्रार्थी संख्या 01 से 02 का खेत खसरा नम्बर 251/4, विप्रार्थी संख्या 03 से 10 के खेत खसरा नम्बर 256/2, विप्रार्थी संख्या 11 से 14 के खेत खसरा नम्बर 271/255, विप्रार्थी संख्या 15 के खेत खसरा नम्बर 269/255 की भूमि आई हुई है, प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की गाठें तथा सीमा चिन्ह् नहीं होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 16 तक के बीच काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है। तथा विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थी हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत् विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ./2022/सीमाज्ञान/288 दिनांक 16.03.2022 पटवारी हल्का लूखू को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 02.02.2023 को हल्का पटवारी लूखू द्वारा उपरोक्त खसरों का प्रार्थी व मौतबरान् के रूबरू सीमाज्ञान किया गया मौके पर पड़ोसी खातेदारान के रूबरू मुस्तकिल बिन्दु कायम कर सीमाज्ञान कार्य शुरू किया गया तो पड़ौसी खातेदारो ने वाद विवाद शुरू कर दिया और रेत के धूम्बे बनाये गये थे उन्हे बिखेरना शुरू कर दिया। उसके बाद से लगातार विप्रार्थीगणों ने रेत के निशानात् बिखेरने व प्रार्थी को खेत से बेदखल करने की धमकिया दी तब हल्का पटवारी से सम्पर्क किया हल्का पटवारी व आर.आई ने नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण राजस्व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण नेखमबंदी करने हेतू संबंधित पुलिस थाना हल्का धोरीमना को निर्देशित किया जावें कि वो नेखमबंदी के दौरान मौके पर शांति बनाये रखने हेतू पुलिस ईमदाद प्रदान करावें। प्रार्थीगण नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करवाने एवं नेखमबंदी संबंधी फीस अदा करने को तैयार है। विवादित भूमि मौजा भीलों की बस्ती पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– रूपये का साथ पेश है। अतः श्रीमान्जी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का खातेदारी के खेत ग्राम भीलों की बस्ती पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 253/2 क्षेत्रफल 5.0586 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी/ पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरवाने की कृपा करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक से तलब किया गया, रजि. डाक से भेजे गए नोटिसों की डाक रसीदें अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई, अप्रार्थी सं. 01 ता 16 को भेजे गए नोटिस तीन माह से अधिक का समय होने के बावजूद हाजा न्यायालय में अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध दिनांक 13.12.2023 एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी की पत्रावली तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम भीलों की बस्ती पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 253/2 क्षेत्रफल 5.0586 हैक्टेयर [illegible] सोयम प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। हमने पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार धोरीमन्ना के आदेश की पालना में करवाए गए सीमाज्ञान की मौका फर्द दिनांक–02.02.2023 को [illegible] किया, पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पड़ोसी खातेदारान के रूबरू मुस्तकिल बिन्दु कायम कर जरीबे चलाकर रेत के धूम्बे बनाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
जिला-बाड़मेर

05/01/24
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

253/2 की सीमाये कायम कर सीमाज्ञान का कार्यशुरू किया तो पड़ौसी खातेदारो ने विवाद शुरू कर सीमाज्ञान करने से मना किया, सीमाज्ञान की कार्यवाही के दौरान पड़ोसी खातेदारान द्वारा वाद–विवाद करने पर सीमाज्ञान नहीं करवाया जा सका, इस बात का उल्लेख किया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के खेत ग्राम भीलों की बस्ती पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 253/2 क्षेत्रफल 5.0586 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम की सीमा तक स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत होगा।

–: : आदेश : :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम भीलों की बस्ती पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 253/2 क्षेत्रफल 5.0586 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम की भूमि का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थी के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा नम्बर 253/2 क्षेत्रफल 5.0586 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

05/01/24

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 05/01/2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

05/01/24

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner